



JALAUN POLICE

"Operation Conviction"

दिनांक 08.10.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना डकोर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे/जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि (25 माह) एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी पुत्र मंगल सिंह राजपूत निवासी ग्राम कुडार थाना खरेला जनपद महोबा के विरुद्ध थाना डकोर पर मु०अ०सं० 08/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना डकोर पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे/जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त ज्ञान सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि (25 माह) एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
शिवदास पाण्डेय



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० संजय कुमार
कोर्ट मुहरिर



का० राजकुमार पटेल
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

